मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 58] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी 2009—माघ 24, शक 1930

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2009

क्र. एफ 13-2-07-सात-4-बी.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त राजपत्रित सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2008 है;

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार या वह प्राधिकारी, जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं या ऐसे पदों पर नियुक्ति प्रत्यायोजित कर सके;

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) ''समिति'' से अभिप्रेत है, अनुसूची चार के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति;

(घ) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा;

(ङ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(च) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(छ) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर; यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ञ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ट) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त राजपत्रित सेवा;

(ठ) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।

3. विस्तार तथा लागू होना.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों;

(दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किए गए हों, और

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी :

परन्तु सरकार, समय समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. भर्ती का तरीका.—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार द्वारा या दोनों द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हैं जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा की किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, सरकार द्वारा, आयोग के परामर्श से, अवधारित की जाएगी।

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना आवश्यक हो, तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जो वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा, विहित करे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, सरकार द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**—परीक्षा/चयन के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(1) **आयु.**—(क) उसने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची तीन के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो, सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण.—पद "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य को या किन्हीं संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण.—पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों वर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा था तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छटनी की गई थी अथवा जो अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिन्हें :—

(क) अल्पकालीन वचनबन्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर, सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं), उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों;

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो;

(घ) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ङ) उन अभ्यर्थी के लिए जो, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(च) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पत्ति के पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) "विक्रम पुरस्कार" धारक अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) नगर सेना (होमगार्ड्स) के स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नॉन कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये;

(ञ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

टिप्पणी.—(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 (1) (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन के लिए पात्र पाया गया हो, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पहले अथवा उसके बाद सेवा से त्याग-पत्र देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे. किसी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी।

(2) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।

(2) शैक्षणिक अर्हताएं.—अभ्यर्थी के पास, अनुसूची-तीन में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए।

(3) फीस.—अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता.—(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा.

(2) कोई अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) कोई अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर. नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.**—परीक्षा/चयन में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता संबंध में [illegible] का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया साक्षात्कार/परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

11. प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.—(1) (एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित करे।

(दो) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी, जैसा कि सरकार समय-समय पर जारी करे.

(2) साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.—(एक) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतरालों से किया जाएगा जैसा कि सरकार, आयोग परामर्श से समय समय पर अवधारित करे.

(दो) सेवा के लिए अभ्यर्थी का चयन अभ्यर्थी के व्यक्तिगत साक्षात्कार के पश्चात् आयोग द्वारा किया जाएगा।

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) आरक्षित रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में उन अभ्यर्थियों को, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझा जाए, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(7) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश/निर्देशों के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(8) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, वहां नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग, सरकार से परामर्श के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा।

(9) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों सकें तो शेष रिक्तियां, सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जावेंगी और रिक्तियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अगले चयन के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।

12. **समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**—(1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्ह हों, जैसा कि आयोग अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं, किंतु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, योग्यता के क्रम में तैयार करेगा और राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि राज्य सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची, उसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

13. **परिवीक्षा.**—सेवा में सीधी भर्ती किए गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(1) पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी जिसमें अनुसूची चार में उल्लिखित सदस्य होंगे :

परन्तु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर, नामनिर्देशित किए गये अन्य सदस्यों से भिन्न कोई सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उस प्रास्थिति का अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी।

(2) अनुसूची चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया एवं पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन—नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले प्रत्येक पदोन्नति आदेश पर, इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के एवं बनाए गए नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

(4) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निर्देश दें, किन्तु साधारणतः एक वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होगा।

15. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.—(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिसने उस वर्ष की पहली जनवरी को, उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी है, या जिन्हें सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद या पदों पर उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची चार के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट है और उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में हो।

स्पष्टीकरण.—पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति सुसंगत वर्ष की, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, एक जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कलेंडर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जायेगी।

(2) पदोन्नति के लिए विचारण क्षेत्र हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**—(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों और जो समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए हों और जो समिति द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए हों. यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी. पूर्वोक्त कालावधि के दौरान उद्भूत होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिए एक आरक्षित सूची भी तैयार की जाएगी, सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत व्यक्तियों के नाम सम्मिलित होंगे।

(2) चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार होगा।

(3) प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोक्त चयन के आधार पर उन व्यक्तियों पर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया था, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गयी सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण किया जायेगा।

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

17. **चयन सूची.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ, समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, सूची को ऐसे उपान्तरणों के साथ, यदि कोई हों, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा, जो उसकी राय में न्यायसंगत हों।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित किए गये पदों से अनुसूची चार के कॉलम (2) में दर्शित किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची, जब तक कि नियम 16 के उप नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाए, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जाएगी, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आए हों।

(2) साधारणतया उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो।

19. **आयोग से परामर्श.**—विभागीय पदोन्नति समिति, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की जाए, कि सिफारिश के संबंध में समझा जाएगा कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श की अपेक्षा के अनुपालन में की गई है।

20. **परिवीक्षा.**—सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया, प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा-पर नियुक्त किया जाएगा, किन्तु यदि पदोन्नत पद सीधी भर्ती से भरे जाने का है, तो भी परिवीक्षा की शर्त वही होगी।

21. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

22. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उन्हें न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला, ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हो।

23. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

24. **निरसन.**—मध्यप्रदेश भू-मापन, बन्दोबस्त तथा भू-अभिलेख (राजपत्रित द्वितीय श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 1970 एतद्द्वारा, निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी भी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सभाजीत यादव, उपसचिव.

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त (राजपत्रित सेवा) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी

अनु. क्र. (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)	क्रमोन्नति वेतनमान (6)
1	आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त	1 (भारतीय प्रशासनिक सेवा)	भारतीय प्रशासनिक सेवा का सुपरटाईम स्केल.	18400—500—22400	-
2	अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त.	1 (राज्य प्रशासनिक सेवा)	प्रथम श्रेणी	12000—375—16500	-
3	जिला भू-प्रबंधन अधिकारी	22 (राज्य प्रशासनिक सेवा)	प्रथम श्रेणी	12000—375—16500	-
4	संयुक्त आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त.	2 (राज्य प्रशासनिक सेवा)	प्रथम श्रेणी	12000—375—16500	-
5	संयुक्त संचालक (सांख्यिकी)	1 (विभागीय सांख्यिकी सेवा)	प्रथम श्रेणी	12000—375—16500	-
6	संयुक्त संचालक (वित्त)	1 (म. प्र. वित्त सेवा)	प्रथम श्रेणी	12000—375—16500	-
7	उप-आयुक्त, भू-अभिलेख (सांख्यिकी)	4 (विभागीय सांख्यिकी सेवा)	प्रथम श्रेणी	10000—325—15200	10650—325—15850
8	उप-आयुक्त (विधि)	1 -	प्रथम श्रेणी	10000—325—15200	10650—325—15850
9	उप-आयुक्त, भू-अभिलेख	11 (राज्य प्रशासनिक सेवा)	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500	10000—325—15200
10	केडस्ट्रल सर्वे अधिकारी	1 (राज्य प्रशासनिक सेवा)	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500	10000—325—15200
11	सर्वे अधिकारी (भू-मापन अधिकारी)	1 (राज्य प्रशासनिक सेवा)	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500	10000—325—15200
12	प्राचार्य, राजस्व निरीक्षक प्रशि. शाला	2 (राज्य प्रशासनिक सेवा)	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500	10000—325—15200
13	उप-प्राचार्य, राज्य स्तरीय प्रशि. संस्थान	1 (राज्य प्रशासनिक सेवा)	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500	10000—325—15200
14	लेखा अधिकारी	1 (म. प्र. वित्त लेखा)	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500	10000—325—15200
15	सिस्टम एनालिस्ट	1 (तकनीकी सेवा)	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500	10000—325—15200
16	प्रोग्रामर	1 (तकनीकी सेवा)	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500	10000—325—15200
17	सहायक आयुक्त (सांख्यिकी)	14 (विभागीय सांख्यिकी सेवा)	द्वितीय श्रेणी	6500—200—10500	7500—250—12000
18	...निक अधिकारी	1 (विभागीय विधिक वर्गीय सेवा)	द्वितीय श्रेणी	6500—200—10500	7500—250—12000
19	अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित आबादी/सीलिंग नजूल परिवर्तित भूमि अधिकार अभिलेख चकबन्दी बन्दोबस्त भू-मापन).	142 (कार्यपालिक पद)	द्वितीय श्रेणी	5500—175—9000	6500—200—10500

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिए)

अनु.क्रमांक	विभाग का नाम	सेवा तथा पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत: सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा [नियम 6 (क) देखिये]	अन्य सेवाओं या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण से [नियम 6 (ख) देखिये]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश	म. प्र. भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त (सेवा) (राजपत्रित) वर्ग-एक				
1		1 आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त	1	-		भारतीय प्रशासनिक सेवा
2		2 अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त	1	-		राज्य प्रशासनिक सेवा

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3. जिला भू-प्रबंधन अधिकारी	22	–	–	राज्य प्रशासनिक सेवा
	4. संयुक्त आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त	2	–	–	राज्य प्रशासनिक सेवा
	5. संयुक्त संचालक (सांख्यिकी)	1	–	100%	विभागीय सांख्यिकी सेवा
	6. संयुक्त संचालक एवं वित्तीय सलाहकार	1	–	–	राज्य वित्त सेवा
	7. उप-आयुक्त, भू-अभिलेख (सांख्यिकी)	4	–	100%	विभागीय सांख्यिकी सेवा
	8. उप-आयुक्त (विधि)	1	100%	–	–
	म. प्र. भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त (सेवा) (राजपत्रित) वर्ग-2				
	9. उप-आयुक्त, भू-अभिलेख	11	–	–	राज्य प्रशासनिक सेवा
	10. केडस्ट्रल सर्वे अधिकारी	1	–	–	राज्य प्रशासनिक सेवा
	11. सर्वे अधिकारी (भू-मापन अधिकारी)	1	–	–	राज्य प्रशासनिक सेवा
	12. प्राचार्य, राजस्व निरीक्षक, प्रशि. शाला	2	–	–	राज्य प्रशासनिक सेवा
	13. उप-प्राचार्य, राज्य स्तरीय प्रशि. संस्थान	1	–	–	राज्य प्रशासनिक सेवा
	14. लेखा अधिकारी	1	–	–	राज्य वित्त सेवा
	15. सिस्टम एनालिस्ट	1	100%	–	तकनीकी पद
	16. प्रोग्रामर	1	100%	–	तकनीकी सेवा
	17. सहायक आयुक्त (सांख्यिकी)	14	–	100%	–
	18. प्रशासनिक अधिकारी	1	–	100%	–
	19. अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित/आबादी/सीलिंग/नजूल/परिवर्तित भूमि/अधिकार अभिलेख/चकबन्दी/बन्दोबस्त/भू-मापन)	142	–	100%	–

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

...का ...। ...)	सेवा तथा पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु (3)	अधिकतम आयु (4)	शैक्षणिक अर्हता (5)
...विभाग	1. उपायुक्त (विधि)	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में विधि स्नातक (एल. एल. बी.) तथा एल. एल. एम. (न्यूनतम 55 प्रतिशत से उत्तीर्ण).
	2. सिस्टम एनालिस्ट	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी. ई. (कम्प्यूटर)/बी. टेक (कम्प्यूटर)/एम. सी. ए. (प्रथम श्रेणी में) के साथ कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव.
	3. प्रोग्रामर	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी. ई. (कम्प्यूटर)/बी. टेक (कम्प्यूटर)/एम. सी. ए. (प्रथम श्रेणी में) के साथ कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव.

अनुसूची-चार
(नियम 6 एवं 14 देखिए)

अनु. क्रमांक	विभाग का नाम	सेवा तथा पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	सेवा तथा पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	आगामी पदोन्नति हेतु सेवा की पूर्व पद की अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	राजस्व विभाग	उपायुक्त भू-अभिलेख (सांख्यिकी)	संयुक्त संचालक (सांख्यिकी)	5 वर्ष	1. अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य. 2. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग. 3. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त 4. उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग.
2		सहायक आयुक्त (सांख्यिकी)	उपायुक्त भू-अभिलेख (सांख्यिकी)	5 वर्ष	1. अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य 2. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग. 3. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त 4. उप सचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग.
3		अधीक्षक, कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मुख्या.	प्रशासनिक अधिकारी	5 वर्ष	1. अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य. 2. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग. 3. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त 4. उप सचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग.
4		अनुदेशक (सां.) पर्यवेक्षक फसल प्रयोग/ वरिष्ठ सहा. सां. अधि./ अनुसंधान सहायक.	सहायक आयुक्त (सांख्यिकी)	5 वर्ष	1. अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य 2. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग. 3. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त 4. उप सचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग.
5		सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख/मुख्य संगणक/वरिष्ठ श्रेणी, पारगामी/मुख्य मानचित्रकार.	अधीक्षक भू-अभिलेख	5 वर्ष	1. अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य. 2. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग. 3. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त 4. उप सचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सभाजीत यादव, उपसचिव.